सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 02/2018

श्रीमती उर्मिला सोनी उम्र 62 वर्ष पत्नी श्री जगदीश कुमार सोनी जाति व्यापारी, नि. बारां तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांटा)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक (अपीलांटा)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 21.03.2018

अपीलांटा ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 27.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कलमण्डा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 690 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म खाल खद्दर पर अतिक्रमी मानकर 110/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एंव तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांटा का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांटा को सुनवाई का अवसर नहीं नहीं है। अपीलांट के खाते की आराजी ख0नं0 688, 689, 692, 718, 719 रकबा 4.51 है0 ग्राम कलमण्डा में स्थित है। ख0नं0 692 व 688 के मध्य कथित ख0नं0 690 खाल खद्दर के रूप स्थित है। जिसपर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये एकतरफा कार्यवाही कर अतिक्रमी माना है। अपीलांटा द्वितीय ट्रेसपासर नहीं है ना हीं विवादित आराजी पर कोई कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जी अपीलांटा के खाते की आराजी के मध्य में खाल खद्दर के रूप से स्थित है। ी ओर अपीलांटा के खाते की आराजी है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से पीलांटा को अतिक्रमी मानकर अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, इसी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांटा के विरूद्व आदेश पारित किये गये है। कि उक्त आराजी पर अपीलांटा का पूर्व में काफी समय से जानकारी होते हीं ा छोड रखा है। अब अपीलांटा कभी भी उक्त आराजी पर अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा के विरूद्व बिना नोटिस जारी किये, सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना हीं एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की गयी है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.3.2014 निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांटा विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को पूर्व में प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 919/13 निर्णय दिनांक 15.3.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांटा का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है तथा भविष्य में कभी अतिचार नहीं नहीं करने के लिये वचनबद्व है। ऐसी स्थिति में सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 576/14 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांटा विवादित आराजी से कब्जा छोड दें व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगी तथा तहसीलदार बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावें तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.3.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.3.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)